आनलाइन आतंकवाद मामले में 20 जगह छापे

हिंसक जिहाद के माध्यम से भारत को इस्लामी राज्य बनाना चाहते थे आरोपित

नई दिल्ली, प्रेट्र : आनलाइन आतंकवाद की साजिश से जुड़े एक मामले एनआइए ने बुधवार को 20 जगहों पर छापेमारी की। देश में तलाशी अभियान चलाया। इस साजिश का उद्देश्य आइसिस और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद के माध्यम से भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करना था।

एनआइए का कहना है कि आरोपित जिहादी विचारधारा का प्रचार करने और भारत-विरोधी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी हैंडलर के साथ आनलाइन संपर्क में थे। गिरफ्तार आरोपित और उनके सहयोगी हिंसक जिहादी सामग्री और गलत जानकारी के जरिये देश भर के अवसादी से प्रभावित होने वाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में लगे हुए थे। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में कुल 20 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिनकी फारेंसिक जांच की जाएगी, ताकि साजिश के बारे में और जानकारी मिल सके। इस मामले में अब तक 11 लोगों और एक किशोर को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआइए ने यह मामला इसी वर्ष मई में विजयवाड़ा पुलिस से अपने हाथ में लिया था।

आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस ने इसी वर्ष मार्च में मुख्य आरोपित हाफिजुल्ला कादिर मोहम्मद के निवास पर छापेमारी के बाद यह मामला दर्ज किया था। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों आइसिस और एक्यूआइएस से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी।

आरोपितों से बरामद हथियार • सौ. पुलिस

अमृतसर में छह हैंड ग्रेनेड के साथ तीन आतंकी गिरफ्तार

जागरण संवाद, अमृतसर : पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस (सीआइए) ने बुधवार को आतंकी लखबीर सिंह लांडा उर्फ लंडा (बीकेआइ) से जुड़े तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे छह हैंड ग्रेनेड, 12 अत्याधुनिक पिस्तौल व नौ कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान अमृतसर के गांव कथूनंगल निवासी विट्टू, लोकप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी के रूप में हुई है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपित आइएसआइ से जुड़े एक विदेशी तस्कर और विदेश में बैठे बीकेआइ के संचालकों के निर्देश पर काम कर रहे थे।

शोपियां में पांच दिन से जारी मुठभेड़ में लश्कर कमांडर ढेर

मारे गए आतंकी जाकिर अहमद गनई से हथियार भी बरामद

घेराबंदी में फंसे एक अन्य आतंकी की तलाश में अभियान जारी

जागरण संवाद, जम्मू : यौमअरफात पर्व को लेकर कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे अभियानों के बीच सुरक्षाबलों ने मंगलवार को शोपियां में पांच दिन से जारी मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर को मार गिराया। मारे गए आतंकी से हथियार भी बरामद हुए हैं। सुरक्षाबलों ने मारे गए आतंकी एक अन्य साथी की तलाश में घेराबंदी जारी रखी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मारा गया आतंकी 26 वर्षीय जाकिर अहमद गनई लश्कर का स्थानीय कमांडर था और कुलगाम जिले का निवासी था। वह सितंबर 2023 को शांतिपूर्ण काम करने के लिए घर से निकला था और वापस नहीं आया। परिजनों ने अक्टूबर 2023 को कुलगाम थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में बाद सामने आया कि वह लश्कर के भूमिगत संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) में शामिल हो गया था। उसके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया था।

तीन जुलाई को शोपियां के मीमंदर क्षेत्र के एक घने सेब के बाग में लगे जिलाटी कैमरों में दो आतंकियों की गतिविधियां कैद हुई थीं। इसके बाद सुरक्षाबल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। पिछले पांच दिन में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। सुरक्षा बलों ने सभी रास्तों को सील कर दिया था। पुलिस से अपने हाथ में लिया था।

बंगाल में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का मुख्य आरोपित ढेर

कब्र खुदी, जागरण, कोलकाता : यूपी के योगी मॉडल की तरह बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारईपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपित प्रभास मंडल को मंगलवार देर रात अस्पताल पर सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। आरोपित ने पहले पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की थी। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार दुष्कर्म व हत्या के किसी आरोपित की पुलिस मुठभेड़ में मौत का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बारईपुर की घटना के बाद कहा था कि आरोपितों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

बता दें कि इसी तरह छह दिसंबर 2019 को तेलंगाना में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के चार आरोपित अस्पताल के सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। पीड़िता गत शनिवार शाम अपनी सहेली के जन्मदिन का उपहार खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रविवार सुबह घर के पास एक तालाब से उसका शव बरामद हुआ। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

पुलिस के अनुसार, घटना की जांच के सिलसिले में मंगलवार देर रात जांच अधिकारी अपनी टीम के साथ आरोपित प्रभास मंडल को सूर्यपुर स्थित घटनास्थल पर ले गए थे। वहां घटना का सीन रिक्रिएशन कराया जा रहा था। इसी दौरान प्रभास ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली और भागने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, उसने टीम की ओर एक राउंड फायरिंग भी की। तब पुलिस ने आत्मरक्षा में दो राउंड जवाबी फायरिंग की, जिससे वह घायल हो गया। उसे तत्काल बारईपुर महकमा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए प्रभास की मां संध्या मंडल ने मीडिया से कहा कि बेटे ने जो किया, उसे उसका परिणाम मिला है। उन्होंने बेटे का शव लेने से भी इनकार किया।

• पुलिस का दावा, क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान की थी कस्टडी से भागने की कोशिश

प्रभास मंडल • डाइट

पूरी खबर पढ़ने के लिए क्यूआर स्कैन करें।

हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाएं और सुरक्षा होगी मजबूत

नई दिल्ली में बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह व नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू व अन्य • पीआइबी

• गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक के बाद दिए अहम निर्देश

• 2027 तक सभी राज्यों में एयरपोर्ट्स कार्यालय खुलेंगे

जागरण संवाद, नई दिल्ली : देश में हवाई यात्रा करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए त्वरित तरीके से काम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु के साथ प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं आव्रजन प्रणाली की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव, सीआइएसएफ महानिदेशक व एएआइ अध्यक्ष सहित दोनों मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए।

गृह मंत्री ने सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से आटोमैटिक ट्रे रिट्राइवल सिस्टम (एटीआरएस) लागू करने का निर्देश दिया। जब हवाई अड्डों में इस सिस्टम को अनिवार्य रूप से स्थापित करने के मापदंड तय किए जाएंगे। इससे यात्रा संचालन लागत में काफी कमी आएगी।

यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट के हर टच-प्वाइंट (एंट्री लेन, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच और आव्रजन काउंटर) के बीच समन्वित योजना तैयार की गई है। यात्रियों के आवागमन में किसी भी प्रकार का अवरोध न हो, इसका ध्यान रखा गया है।

सरकार की योजना 21 निर्माणाधीन व 41 अन्य हवाई अड्डों सहित कुल 62 हवाई अड्डों को अगले दो वर्षों में नया रूप देते हुए विकसित करने की है। यात्री सुविधाएं, सीआइएसएफ सुरक्षा मापदंडों के अनुसार बढ़ाई जाएंगी। सभी हवाई अड्डों के लिए एटीआरएस को संरक्षा निर्धारित करने के मानदंड तैयार किए जाएंगे।

तृणमूल कांग्रेस के 440 करोड़ रुपये के बैंक जमा फ्रीज

कब्र, जागरण, कोलकाता : ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 440.42 करोड़ के बैंक जमा फ्रीज कर दिए। अधिकारियों के अनुसार, यह राशि पार्टी के तीन निजी बैंक खातों में जमा थी। इस मामले में बुधवार तक टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

ईडी ने मंगलवार को कोलकाता में पांच ठिकानों पर तलाशी ली थी। इनमें केवरबेल ग्रुप आफ कंपनीज और उसकी विमान चार्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनी केवरबेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों को भी शामिल किया गया। एजेंसी का आरोप है कि प्रारंभिक जांच में अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के खातों से लगभग 160 करोड़ रुपये केवरबेल एविएशन और उससे जुड़ी इकाई को भेजे गए। यह भी सामने आने का दावा किया गया कि संबंधित कंपनी ने 2023 से 2026 के दौरान 82.96 करोड़ रुपये एक नई कंपनी को स्थानांतरित किए। ईडी के अनुसार, इसी धनराशि में से 112 करोड़ रुपये का उपयोग एक एम्बेयर लीगेसी 650 बिजनेस जेट और एक अगस्तावेस्टलैंड 109एसपी हेलीकाप्टर खरीदने में किया गया। एजेंसी का कहना है कि बाद में इन दोनों उड़ान सेवाओं को टीएमसी को किराये पर उपलब्ध कराया गया। इससे पहले गत महीने कोलकाता पुलिस ने पार्टी के बागी विधायकों की शिकायत के आधार पर इन तीनों बैंक खातों से निकासी पर रोक लगा दी थी। शिकायत में पार्टी फंड के संग्रह की जांच की मांग की गई थी।

बागी नेताओं से ममता की भावुक अपील, बोलीं- समय है, वापस लौट आइए

कब्र, जागरण, कोलकाता : विधानसभा चुनाव में हार और सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पार्टी के बागी नेताओं को भावुक संदेश दिया। कहा कि अभी भी समय है, वे पार्टी में वापस लौट आएं और कार्यकर्ताओं के त्याग को याद करें। उन्होंने आपके लिए खून-पसीना बहाया, उन्हें मत भूलिए। बारासात में नाबालिका से दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में निकाली गई रैली के बाद ममता ने फेसबुक लाइव से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

बिजली की गड़गड़ाहट से थम गई 12 दिन के मासूम की सांसें

नाहुनिया प्रतिनिधि, पटना : बिहार प्रदेश के बक्सर जिले के चौसा क्षेत्र में हृदयविदारक घटना सामने आई है। जिमराली भवानीछपरा अवार गांव में मंगलवार शाम आकाशीय बिजली की तेज गड़गड़ाहट के बाद 12 दिन के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। बच्चे का जन्म 26 जून को हुआ था। स्वजन के अनुसार मंगलवार शाम करीब चार बजे क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी।

मराठी भाषा का टेस्ट पास करो, वरना लाइसेंस रद: मंत्री

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर टैक्सी और आटो रिक्शा चालक मराठी भाषा का टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, तो 16 अगस्त से उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने सभी गैर-मराठी आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य लघु मराठी सीखने की समयसीमा 16 अगस्त तय की थी।

सिंधिया राजघराने के संपत्ति विवाद का समझौता टला

नाहुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: सिंधिया राजघराने की लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के करीब चार दशक से चले आ रहे बहुचर्चित विवाद का निपटारा टल गया। ग्वालियर जिला न्यायालय में बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआ- राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और ऊषा राजे के बीच हुए राजीनामे पर कानूनी सहमति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन मामले से संबंधित संपूर्ण रिकार्ड न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई 20 जुलाई तक स्थगित कर दी गई।

दरअसल, न्यायालय में समझौते को विधिक मान्यता देने से पहले मूल रिकार्ड का परीक्षण आवश्यक था। रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने समझौते पर कोई आदेश पारित नहीं किया और अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। अब रिकार्ड प्रस्तुत होने के बाद ही राजीनामे पर न्यायिक मुहर लगने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। मामले में समझौते की प्रक्रिया ग्वालियर की अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल अग्रवाल के न्यायालय में की जानी है।

सूत्रों के अनुसार, न्यायालय में पेश किए जाने वाले रिकार्ड में विवादित चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत विवरण शामिल है।

कोबरा के पेट से निकली पालीथिन सर्जरी के बाद लगे 16 टांके

लखनऊ संवाददाता, जिला : लखनऊ लखनऊ राज्य पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) के पशु क्लीनिक से कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पाइप में फंसे सांप को निकालने के बाद उसका लुवास में आपरेशन किया गया तो सभी हैरान रह गए। सांप के पेट से पालीथिन के साथ एक छोटा लोहे का टुकड़ा भी निकाला गया। कोबरा की सर्जरी करने के बाद 16 टांके लगाए गए हैं। करीब 14 दिन के बाद सांप को जंगल में छोड़ा जाएगा।

यह घटना केवल रेस्क्यू की नहीं, बल्कि जन्तुओं के लिए बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे की भी गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में फेंकी जाने वाली पालीथिन और प्लास्टिक न केवल घरेलू पशुओं, बल्कि सांपों सहित अन्य वन्यजीवों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही हैं। क्लीनिक चीफ डाक्टर ने बताया कि उन्हें लुवास के क्लीनिक में कोबरा होने की सूचना मिली थी। वह जब वहां पहुंचे तो करीब दो साल का वह सांप एक पाइप में फंसा हुआ था। उसकी पूंछ के पास चोट लगी थी। सांप को वह लुवास क्लीनिक में लेकर गए, जहां डा. संदीप सहगल ने सर्जरी की। सर्जरी में सांप के पेट से काले रंग का पूरा पालीथिन निकला। डाक्टर भी यह देखकर हैरान थे। वहां पहली बार सांप के पेट से पालीथिन निकलने का मामला सामने आया है।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

सीओ एसएएम, मेरठ, सी 05 वेद व्यास पुरी, मेरठ– 250002, उ0प्र0, ई–मेलः comrtsam@pnb.bank.in

नीलामी सूचना
E-Auction के आधार पर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओ) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है का सांकेतिक/ भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिंत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी)/ गारन्टर्राओं की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **https://baanknet.com/** (वेबसाइट का विवरण दें)

क्र0 सं0	शाखा/खाता/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दृष्टिबंधक/प्रभार/बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धार 13 (2) के तहत मांग सूचना (सी) दिनांक 30.06.2026 तक शेष राशि (डी) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(4) की तिथि (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/दिनांक / सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखाः सरधना (085800)** श्री धनेश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद **(उधारकर्ता एवं बंधककर्ता),** पताः ग्राम लोहिया परगना दौराला, तहसील सरधना, मेरठ- 250342। श्रीमती सुरेश पत्नी श्री ऋषिपाल सिंह **(गारन्टर)**, पताः जय भीम नगर, अम्बेडकर भवन, मेरठ- 250004। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह **(गारन्टर)**, पताः ग्राम लोहिया, परगना दौराला, तहसील सरधना, मेरठ- 250342।	बंधक आवासीय संपत्ति के सभी भाग व भूखंड, जो ग्राम लोहिया, अम्बेडकर भवन के निकट, परगना दौराला में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर (अर्थात् 100 वर्ग गज) है तथा जो श्री धनेश पुत्र जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज है। उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं- पूर्वः 31 फीट 3 इंच, तत्पश्चात विक्रेता का मकान, पश्चिमः 31 फीट 3 इंच, तत्पश्चात 10.00 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 28 फीट 7 इंच, तत्पश्चात विक्रेता का मकान, दक्षिणः 29 फीट, तत्पश्चात श्री महावीर का मकान। (नोटः उपरोक्त संपत्ति का विवरण दिनांक 19.07.2016 की विक्रय विलेख के अनुसार है, जो उप-निबंधक, सरधना के कार्यालय में क्रम संख्या 9405, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7134, पृष्ठ 1 से 20 पर पंजीकृत है।)	(क) 10.07.2025 (ख) रू0 **11,88,289.19** प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 + कानूनी एवं अन्य खर्चे (ग) रू0 13,00,953.18 + ब्याज दिनांक 01.07.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 05.02.2026 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 13.80 लाख रू0 1.38 लाख रू0 0.10 लाख	**27.07.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **26.07.2026**	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः बसोली, बागपत** श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मदन लाल **(ऋणी एवं बंधककर्ता)**, पता 1: मकान नं0 6/347, वाल्मीकि मौहल्ला, बड़ौत- बापगत- 250611, पता 2: आवासीय मकान नं0 34, वार्ड नं0 21, नगर पालिका बड़ौत, परगना तहसील बड़ौत, जिला- बागपत। श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बुलाराम **(गारन्टर)**, पताः 178, कोटाना रोड, बड़ौत, बागपत, उ0प्र0- 250611	बंधक एक आवासीय मकान नं0 34, वार्ड नं0 2, स्थित कस्बा बड़ौत पट्टी चौधरन सर्कुलर रोड, वार्ड नं0 21, नगर पालिका बड़ौत, परगना तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत, माप क्षेत्रफल 99 वर्ग गज अर्थात् 82.78 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मदन लाल।	(क) 02.12.2024 (ख) रू0 5,59,924.06 + ब्याज दिनांक 01.12.2024 + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो (ग) रू0 **5,05,050.06** दिनांक 31.03.2026 तक ब्याज दिनांक 01.04.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 11.02.2025 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 20.22 लाख रू0 2.022 लाख रू0 0.10 लाख	**27.07.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **26.07.2026**	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः माछरा (251900)** **1.** श्री मौहम्मद दानिश पुत्र श्री मौहम्मद इकराम **(ऋणी + बंधककर्ता)**, पताः मौहल्ला कुरैशीयान, शॉहजहानपुर, मेरठ उ.प्र.- 250104, **2.** श्री नाजिश पुत्र मौहम्मद इकराम **(गारन्टर और बंधककर्ता),** पताः मौहल्ला कुरैशीयान, शॉहजहानपुर, मेरठ उ.प्र.- 250104	बंधक सम्पत्ति (आवासीय भवन) स्थित मकान म्यूनिसिपल नं. 130/08, वार्ड नं. 08, (जिसका मकान कर की रसीद संख्या 63 दिनांक 10.08.2023),मौहल्ला अंसारियान, कस्बा शॉहजानपुर, परगना किठौर, तहसील मवाना, जिला- मेरठ जिसका माप 53.58 वर्गमीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद दानिश और श्री मौहम्मद नाजिश दोनों पुत्र मौहम्मद इकराम। सीमाएँ निम्न प्रकार हैः-पूर्व-श्री सुल्तान का मकान, पश्चिम- श्री बाबू का मकान, उत्तर- श्री लियाकत और रियासत का मकान, दक्षिण- 8 फीट चौड़ा रास्ता। (नोट- उपरोक्त सम्पत्ति का संशोधन विक्रय विलेख रजिस्ट्रर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय मवाना जिसका क्रमांक नं. 9341, बही नं. 1, जिल्द नं. 9796, पेज 335 से 352 दिनांक 27.06.2023 पर पंजीकृत है)।	(क) 04.10.2025 (ख) रू0 **5,68,611.76** + ब्याज दिनांक 17.09.2025 + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो (ग) रू0 6,13,594.76 + ब्याज दिनांक 17.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 18.12.2025 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 13.95 लाख रू0 1.395 लाख रू0 0.10 लाख	**27.07.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **26.07.2026**	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः माछरा, मेरठ (251900)** श्री सलीम पुत्र श्री भूरे खान **(ऋणी)** पताः 195, मौहल्ला मौसमखानी, किठौर, मेरठ- 250104, श्रीमती जानिस्ता पत्नी श्री सलीम **(गारन्टर)**, पताः 195, मौहल्ला मौसमखानी, किठौर, मेरठ- 250104	बंधक आवासीय मकान, स्थित मकान मौहल्ला सलातीन, कस्बा किठौर, परगना किठौर, तहसील मवाना, मेरठ जिसका कुल माप 99.70 वर्गमीटर सम्पत्ति स्वामी श्रीमती जानिस्ता पत्नी श्री सलीम।	(क) 28.07.2025 (ख) रू0 **9,68,690.05** + ब्याज दिनांक 01.07.2025 + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो (ग) रू0 9,68,823.05 + ब्याज दिनांक 30.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 14.10.2025 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 25.34 लाख रू0 2.534 लाख रू0 10 लाख	**27.07.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **26.07.2026**	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः आबूलेन** श्री कृष्णपाल पुत्र श्री फतेह सिंह, पता 1. ग्राम इदरीशपुर पिपला, भोला रोड, तहसील- मेरठ। पता 2. बी-21, गंगा कॉलोनी, मलियाना, बागपत रोड, मेरठ।	बंधक आवासीय मकान के सभी भाग व भूखंड, बिना नंबर, दो मंजिला, जो प्लॉट संख्या बी-21, खसरा संख्या 930, गंगा कॉलोनी, ग्राम मलियाना, परगना, तहसील एवं जिला मेरठ में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 66.89 वर्ग मीटर है, श्री कृष्णपाल पुत्र श्री फतेह सिंह के नाम पर है।	(क) 05.06.2023 (ख) रू0 15,20,241.50 (ग) रू0 **19,26,499.32** + ब्याज दिनांक 30.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 04.11.2023 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 20.01 लाख रू0 2.001 लाख रू0 0.10 लाख	**27.07.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **26.07.2026**	ज्ञात नहीं
6	**शाखाः बड़ौत, बागपत (004200)** श्री करण कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह **(उधारकर्ता एवं बंधककर्ता),** पता 1. मकान संख्या 3/427, गली संख्या 07, गुराना रोड, बड़ौत, जिला बागपत (उ.प्र.)- 250611। पता 2. मकान संख्या 11/748, मोहल्ला विजय नगर, पट्टी बरू, गली संख्या 07, गुराना रोड, बड़ौत, जिला बागपत (उ.प्र.)। श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह **(सह-उधारकर्ता एवं बंधककर्ता),** पता 1. मकान संख्या 3/427, गली संख्या 07, गुराना रोड, बड़ौत, जिला बागपत (उ.प्र.)- 250611। पता 2. मकान संख्या 11/748, मोहल्ला विजय नगर, पट्टी बरू, गली संख्या 07, गुराना रोड, बड़ौत, जिला बागपत (उ.प्र.)। श्रीमती पूनम पत्नी श्री विनोद कुमार **(गारन्टर)**, पताः मकान संख्या 11/748, गली संख्या 01, गुराना रोड, बड़ौत, जिला बागपत (उ.प्र.)- 250611।	बंधक एक आवासीय मकान, जिसका नगरपालिका संख्या 11/748 है, क्षेत्रफल 44.31 वर्ग मीटर, कस्बा बड़ौत, मोहल्ला विजय नगर, गुराना रोड में स्थित है, जो नगर पालिका परिषद बड़ौत, तहसील बड़ौत, जिला बागपत की सीमा के अंतर्गत आता है। उक्त संपत्ति श्री मनोज कुमार एवं श्री करण कुमार के नाम पर है। संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैंः पूर्वः 9 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः कमदार का मकान, उत्तरः अजीत का मकान, दक्षिणः वाहिद ठेकेदार का मकान।	(क) 13.05.2024 (ख) रू0 10,47,527.00 + ब्याज + कानूनी एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो (ग) रू0 **12,74,728/-** + ब्याज दिनांक 30.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 08.08.2024 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 11.25 लाख रू0 1.125 लाख रू0 0.10 लाख	**27.07.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **26.07.2026**	ज्ञात नहीं
7	**शाखाः किठौर, मेरठ (405400)** श्री चंचल कुमार पुत्र श्री अरविन्द कुमार **(ऋणी/बंधककर्ता)**, पता महलवाला रोड, शाहजंहापुर, मेरठ उ.प्र.- 250104, प्रशांत कुमार पुत्र श्री अरविन्द कुमार **(गारन्टर)**, पता महलवाला रोड, शाहजंहापुर, मेरठ उ.प्र.- 250104	बंधक आवासीय मकान स्थित मौहल्ला हरीजनोंवाला, कस्बा शाहजंहापुर, परगना किठौर, तहसील मवाना जिला मेरठ पिन कोड- 250104, क्षेत्रफल माप 41.66 वर्गमीटर सम्पत्ति स्वामी श्री चंचल कुमार पुत्र श्री अरविन्द कुमार।	(क) 28.07.2025 (ख) रू0 **2,67,769.49** (ग) रू0 2,97,304.49 + ब्याज दिनांक 01.07.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 14.10.2025 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 4.86 लाख रू0 0.486 लाख रू0 0.10 लाख	**27.07.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **26.07.2026**	ज्ञात नहीं
8	**शाखाः सरधना (085800)** श्री अमित कुमार पुत्र श्री नंद किशोर **(ऋणी एवं बंधककर्ता),** पता 1: नई बस्ती, आर्य कॉलोनी, परगना दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ, उ0प्र0-250221, पता 2: मकान नं0 706, ग्राम- दौराला, मिल बाजार, परगना दौराला, तहसील- सरधना जिला- मेरठ, उ0प्र0- 250221, पता 3: मकान नं0 627, ग्राम- दौराला, मिल बाजार, परगना दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ, उ0प्र0- 250221, श्रीमती कमलेश पत्नी श्री नंद किशोर **(सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)**, पताः नई बस्ती आर्य कॉलोनी, परगना दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ, उ0प्र0- 250221, श्री ओम पाल पुत्र श्री नारायण **(गारन्टर)**, पताः वार्ड-1, रैदासपुरी, दौराला, मेरठ- 250221।	बंधक आवासीय मकान प्लॉट नं0 64ए, खसरा नं0 88, माप क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर अर्थात् 100.00 वर्ग गज, ग्राम- दौराला, मिल बाजार, परगना दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ, उ0प्र0-250221, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती कमलेश पत्नी श्री नंद किशोर। सीमाएँः- पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिमः प्लॉट नं0 64बी, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः प्लॉट नं0 65 (उपरोक्त सम्पत्ति का बही नं0 1, वॉल्यम नं0 2970, पेज नं0 351/362, क्र0सं0 11248, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस सरधना, मेरठ पर पंजीकृत है।)	(क) 03.11.2023 (ख) रू0 **8,81,130.10** (ग) रू0 11,76,319.10 + ब्याज दिनांक 30.06.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (घ) 14.05.2024 (ड.) सांकेतिक कब्जा	रू0 16.02